



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर, 30प्र0-272202

Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 76/पि0व0क0/छा0/समय-सारणी/2025-26 दिनांक-25.06.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0-के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्राप्त है। जिसके क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-निर्गत दिशा निर्देश की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।
अग्र

पत्रांक 1092/सूचना/2024

दिनांक- 26/06/2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

/

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

सेवानें,

1. कुल सचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 76 / पि0व0क0 / छा0 / समय-सारिणी / 2025-26

दिनांक 25 जून, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

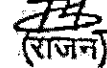
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-115/2025/1370/26-3-2025-1741081 दिनांक 10 जून, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्गत समय-सारिणी का प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र-2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराने के निर्देश हैं।

अतएव उपरोक्त समय-सारिणी पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन की मंशा अनुरूप जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को संसूचित करते हुये विद्यालयी सूचना पट्ट/समाचार पत्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत वांछित कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(राजन)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांक सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, वस्ती मण्डल, वस्ती।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उपरोक्त योजना की समय-सारिणी को जनपद सिद्धार्थनगर की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समय-सारिणी छात्र/छात्राओं के हित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. प्रधानाचार्य, प्राचार्य समस्त सहायित शिक्षण संस्थाएँ जनपद सिद्धार्थनगर।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

श्री अरुण (मि.)
1.06.25

संख्या-11 S /2025/1370/26-3-2025-1741061

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर-प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण विभाग,

उ०प्र लखनऊ।

D.D.

SL

18/06/25
D

श्री सुकोय

D.D.

18/06/25

AD (Ch.)

D.D.

10.06.2025

DD

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-778-81/स०क०/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 20.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (राजकीय/ अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्कम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा टॉक की कार्यवाही		
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। बाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व बाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, संक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक
3	मास्टर डाटा का सत्यापन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक
4	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
छात्र स्तर से आनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
5	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 23 दिसम्बर, 2025 तक
7	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	24 दिसम्बर, 2025 तक
8	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
प्रथम चरण		
9	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक

10	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
11	एन0आई0सी0 द्वारा सफ्टनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक
12	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	23 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
13	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
14	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडीउ/एन0पी0सी0आई0 से मैच बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
द्वितीय चरण		
15	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
16	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी, 2026 से 24 जनवरी, 2026 तक
17	एन0आई0सी0 द्वारा सफ्टनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2026 तक

18	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	23 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक
19	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक
20	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	02 फरवरी, 2026 से 12 फरवरी, 2026 तक
21	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 मार्च, 2026 तक
22	मॉग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	12 मार्च, 2026 तक
23	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	16 मार्च, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।

2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/ प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।

उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

- 3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अप्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पत्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अप्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 09-06-2025
16:57:19

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH
Date: 10-06-2025
12:04:06

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक- ६-१३३३

/स०क०/शिक्षा-अ/१/०३/२०२५-२६

लखनऊ

दिनांक १३ जून, २०२५

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-३
- 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 8- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 10-06-2025 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनाॅमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें।

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT

Date: 12-06-2025

14:31:14 (कुमार प्रशान्त)

निदेशक